

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक: 6(24)प्र.सु./अनु.3/2011

जयपुर, दिनांक 4-6-2019

आदेश

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा सातवीं आर्थिक गणना-2019 सम्पन्न की जानी है। इस आर्थिक गणना में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक ईकाईयों की गणना के साथ-साथ उद्यम की स्थिति, संकार्य, प्रकृति, स्वामित्व, वित्त प्रबंधन एवं रोजगार इत्यादि से सम्बन्धित सूचना संकलित की जायेगी। राज्य में सातवीं आर्थिक गणना-2019 को सुव्यवस्थित एवं निर्धारित समयावधि में सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से एतद् द्वारा किया जाता है-

राज्य स्तरीय समन्वय समिति:


1. मुख्य सचिव, राजस्थान	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान	सदस्य
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान	सदस्य
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान	सदस्य
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान	सदस्य
6. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान	सदस्य
7. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान	सदस्य
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान	सदस्य
9. शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान	सदस्य
10. आयुक्त एवं सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान	सदस्य
11. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान	सदस्य
12. आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,	सदस्य
13. प्रतिनिधि, ईएसडी (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
14. उप महानिदेशक (आंचलिक कार्यालय) NSSO, भारत सरकार केशव नगर हवा सडक, जयपुर	सदस्य
15. उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय), NSSO भारत सरकार, पटेल मार्ग मानसरोवर, जयपुर	सदस्य
16. निदेशक, एम.एस.एम.ई (डी.आई), भारत सरकार, जयपुर	सदस्य
17. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	सदस्य सचिव

समिति के निर्धारित कार्य:

1. Monitor preparedness, progress and hurdles in conduct of 7th EC in the State on regular basis.
2. Ensure complete coverage of the data canvassed through validation against existing databases such as State Business Register.
3. Prepare report on data correctness based on supervision carried out by the State/UT and NSSO (FOD) supervisors.


4. Sensitize the business associations and citizens in general for cooperation.
5. Monitor feedback received from District Level Coordination Committee and resolve issues, if any
6. To approve the provisional results of the Economic Census at State level.

समिति का प्रशासनिक विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग होगा। यह समिति एक अस्थाई समिति होगी जो सातवीं आर्थिक गणना की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी।

आज्ञा से,

 (डॉ० प्रेम सिंह चारण)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. उप महानिदेशक, ईएसडी, सीएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
17. उप महानिदेशक (आंचलिक कार्यालय) NSSO, भारत सरकार केशव नगर, हवा सडक, जयपुर।
18. उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय), NSSO भारत सरकार, 149-154, पटेल मार्ग मानसरोवर, जयपुर।
19. निदेशक, एम.एस.एम.ई (डी.आई), भारत सरकार, 22-गोदाम, जयपुर।
20. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
21. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. एफ 16(1)1/डीईएस/इसी/VII/सामान्य/2018


 (के.के.खण्डेलवाल)
 सहायक शासन सचिव